कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 04.01.2023

आज दिनांक 04.01.2023 को पुलिस उपायुक्त काशी-जोन श्री आर0एस0 गौतम द्वारा पुलिस लाईन स्थित सभागार में काशी-जोन के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। उक्त गोष्ठी के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री भानू प्रताप पाण्डेय, अपर पुलिस उपायुक्त काशी-जोन सहित काशी-जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त एवं समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष तथा निरीक्षक आरपीएफ, कैण्ट, सीटी व काशी स्टेशनों के जीआरपी प्रभारी भी मौजूद रहे।

उक्त गोष्ठी के दौरान पुलिस उपायुक्त काशी-जोन कमिश्नरेट वाराणसी श्री आर0एस0 गौतम द्वारा निम्न आदेश-निर्देश दिये गये-

- छोटी-छोटी घटनाओं पर विशेष ध्यान देने एवं मौके पर प्रभारी निरीक्षक व सहायक पुलिस आयुक्त को घटना-स्थल पर समय से पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया।
- समस्त सहायक पुलिस आयुक्त काशी-जोन को अपने-अपने जोन में लम्बित विवेचनाओं का अतिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण अभियान चलाकर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
- IGRS के माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय से करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
- वारण्टी एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।
- वाहन चोरी/नकबजनी व अन्य चोरियों के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- जाम लगने वाले चौराहो को चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु सहायक पुलिस आयुक्त व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया, ताकि यातायात का सुगम संचालन हो सके।
- महिलाओं संबंधित अपराधों की विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
- जन सामान्य की समस्याओं को थाना प्रभारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया तथा आगंतुक के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखने हेतु निर्देशत किया गया ।

- ❖ उन संवेदशील इलाकों को चिन्हित कर ले जहाँ-जहाँ सीसीटीवी कैमरे न लगे हो वहाँ संबंधित से संपर्क स्थापित कर सीसीटीवी कैमरे लगवा लें तथा सीसीटीवी कैमरा मैपिंग की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।
- ❖ पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा गोष्ठी के दौरान यह भी निर्देश दिया गया कि कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग तेज ध्वनि में नही करेगा। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित डेसीबल में ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाउड स्पीकर की आवाज कार्यक्रम स्थल से बाहर न जाये।
- ❖ आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत क्षेत्र के मनबढ़ व अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करें।
- ❖ ठंड के मौसम में सुनसान इलाकों तथा सराफा मार्केटों में गस्त को बढाये तथा थाना प्रभारी स्वयं रात्रि में पुलिस बल के साथ गस्त करें।
- ❖ अवैध टैक्सी स्टैण्ड तत्काल हटवाएं जाए तथा उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करें एवं यह कार्यवाही सतत् सुनिश्चित करायी जाए।
- ❖ थाने पर खड़े लवारिस वाहनों के निस्तारण का अभियान चल रहा है जिसकी सूची तैयार कर संबंधित विभाग से मूल्य का निर्धारण कराते हुए मालों का निस्तारण कराया जाए।
- ❖ टॉप-10 अपराधियों की का सत्यापन कर ले और उनके मुकदमों की प्रभावि पैरवी कर सजा दिलाया जाए।
- ❖ वीवीआईपी ड्यूटी में डण्डा हेममेट, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ ही थाने से रवान किया जाए।
- ❖ प्रतिदिन भीड़-भाड़, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में प्रतिदिन फूट पैट्रोलिंग की कार्यवाही किया जाए और उसका उल्लेख किया जाए।
- ❖ नियमित वाहन चेकिंग किया जाए तथा चेकिंग के दौरान विशेष कर तीन सवारी/बिना हेलमेट चलने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रभावि कर्यवाही की जाए। इस दौरान किसी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त कार्यालय,
काशी-जोन कमि0 वाराणसी।